

(3)

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़
आदेश क्रमांक 14/49-96 वि-1138 दिनांक, 15.11.96

EVALUATION

महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल महम (रोहतक) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से दसवीं स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-2 पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

एन० सी० वधवा,
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृ०क०सम

दिनांक, 5.12.96

1. इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक को उनके यादी क्रमांक स्था-5-96/1390 दिनांक 10.10.96 के अन्तर्गत।
2. प्राचार्य, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल महम (रोहतक)
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत बिल्डर, नई दिल्ली 110092.

Rajiv 12.96
सहायक निदेशक विद्यालय-1
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।